

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 25/3/10

:: आदेश ::

क्रमांक एक 44-25/20-2/2010 :: राज्य शासन स्तर द्वारा विभाग द्वारा तंचालित तमस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में संताधनों की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 50 तीट तक अथवा उतते कम संख्या में तीटों की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है । शासन द्वारा इत तीट वृद्धि के लिये कोई अतिरिक्त वित्तीय संताधन प्रदान नहीं किये जायेगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

॥ रतन शर्मा ॥  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा

पुंठक एक 44-25/20-2/2010

भोपाल, दिनांक 25/3/10

पुंठिलिपि:-

- 1- निम्न सचिव, मात्तीय मंत्री की/राज्य मंत्रीपी/स्कूल शिक्षा विभाग
- 2- आसुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
- 3- आसुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश
- 4- तमस्त संभागिय आसुक्त, मध्यप्रदेश
- 5- तमस्त ब्लेकटर मध्यप्रदेश
- 6- तमस्त संसुक्त संयासक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
- 7- तमस्त जिला शिक्षा अधिकरी, मध्यप्रदेश
- 8- आदेश पुंठिलिपि

5 । से 7 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

उ.सि.के. 728  
29/3/10  
O.S.D.  
(Excellence)


29.03.10

//2//

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल-462021  
दूरभाष 0755-2583650 फ़ैक्स 0755-2583651  
ई-मेल [dpiassembly-mp@nic.in](mailto:dpiassembly-mp@nic.in)

पृष्ठांकन क्रमांक- उ.वि.सेल/ व्यापम/46./2010-11/ 88 भोपाल,दिनांक 29/3/10  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ,म.प्र.।
- 2- आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुडा भवन, भोपाल ।
- 3- नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल म0प्र0भोपाल
- 4- समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष,उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंध समिति ,म.प्र.।
- 5- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. ।
- 6- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0
- 7- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी ,म.प्र.।
- 8- समस्त प्राचार्य,शा. उत्कृष्ट विद्यालय( जिला मुख्यालय) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

  
संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म0प्र0